BCCI BULLETIN

Vol. 55 | April 2024 | No. 04

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एवं बिहार फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के पदाधिकारियों के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की बैठक

श्री संजीव सिंह, अध्यक्ष, बिहार झारखंड एसोसियेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (बजाना) को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह एवं बिहार फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के चेयरमैन श्री आलोक कुमार के साथ दिनांक 4 अप्रील 2024 को चैम्बर प्रांगण में बैठक हुई एवं जिसमें आपसी विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की स्थापना 1975 में बिहारी अप्रवासियों की पहली पीढ़ी द्वारा अमेरिका में की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में एसोसिएशन बिहार और झारखंड के सभी लोगों के लिए एक साथ लाने और एक-दूसरे की मदद करने का एक मंच बन गया है। यह संस्था एक विशाल परिवार और एक हजार से अधिक सदस्यों वाला एक मजबूत सांस्कृतिक संगठन है जिसके सदस्य न्यूयार्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, डेलावेयर, मैरीलैंड और डीसी राज्यों में फैले हुए हैं।

श्री पटवारी ने कहा कि एसोसिएशन के लोग अपनी समृद्ध भारतीय संस्कृति को और समृद्ध बनाने के लिए हर साल होली, ग्रीष्मकालीन पिकनिक, छठ, दीपावली एवं मकर संक्रांति का आयोजन करते हैं ताकि लोग अपने जड़ों एवं अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें। एसोसिएशन भारतीय वाणिज्य दूतावास और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करता है। यह बिहार और झारखंड राज्यों के गरीबों एवं असहाय लोगों का नि:शुल्क कटे होंठ की सर्जरी, दृष्टि- बाधित लड़कियों और अनाथालयों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में योगदान करना, बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत पहुँचाने के कार्य के साथ-साथ कई प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में एसोसियेशन व्यवसायिक हित के कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेता रहता है।

बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि एसोसिएशन के 50 साल के अवसर पर माह जुलाई 2025 में एक ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में बिहार के लोग जो भारत सहित दुनिया के किसी भी देश में हो उनको आमंत्रित किया जाएगा, साथ ही इस कॉन्क्लेव में काफी सारे देशों के बड़े-बड़े उद्यमी एवं व्यवसायी भाग लेंगे। इस कॉन्क्लेव में इन्वेस्टर मीट भी होगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिहार चैम्बर के लोग आएं और बाहर के लोगों को बिहार में संभावनाओं की जानकारी दें तथा यहाँ के जो लोग यू.एस.ए. में अपना निवेश करना चाहते हैं, वहाँ पर क्या संभावनाएं हैं, उसे भी जानें।

इस अवसर पर माननीय विधायक डॉ. संजीव शर्मा, बजाना के श्री रंजीत कुमार एवं श्री अभिनव अतुल, विकसित भारत संकल्प फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव श्री कुँवर सोनु सिंह एवं प्रदेश सह संयोजक श्री पुष्कल राज, बिहार विद्यापीठ के चेयरमैन श्री विजय प्रकाश एवं आस्था फाउंडेशन के श्री उमा शंकर सिन्हा सम्मिलित हुए।

लोकसभा आम निर्वाचन-2024

अपना बहुमूल्य मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनायें।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

लोक सभा चुनाव 2024 शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों में मतदान हो भी गया है। **आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में जिस दिन मतदान निश्चित हो, अपना बहुमूल्य मतदान अपने पूरे परिजनों के साथ अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनायें।**

देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि इस बार मार्च के महीने में अब तक का दूसरा सबसे अधिक कर–संग्रह हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2023–24 के मार्च महीने में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रूपये हो गया है। अबतक का सबसे अधिक जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रूपये अप्रैल 2023 में दर्ज किया गया।

चालू वित्त वर्ष 2024–25 में भी भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच सबसे तेज गति से विकास करेगा। **विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2024–25 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.6 प्रतिशत रहेगी। हालॉकि यह गत वित्त वर्ष 2023–24 की अनुमानित विकास दर से कम है।**

बिहार के वाणिज्य–कर विभाग ने जीएसटी संग्रह में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। बीते वर्ष बिहार सरकार के वाणिज्य–कर विभाग ने जीएसटी संग्रह में 18.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि समान अवधि में उत्तर प्रदेश में 16 प्रतिशत, झारखण्ड में 8 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक वाणिज्य–कर विभाग का मार्च 2024 में कुल कर संग्रह भी 5403.15 करोड़ रहा, जो अब तक किसी भी महीने का सर्वाधिक मासिक संग्रह रहा। 2022–2023 में विभाग द्वारा जीएसटी एवं नॉन जीएसटी मद में कुल 34,541 करोड़ रूपये संग्रह किया गया था जबकि 2023–24 में विभाग द्वारा कुल 38,161 करोड़ संग्रह किया गया।

एसबीआई ने कुछ डेविट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रूपये की वृद्धि की है। इस बढ़ोत्तरी के पश्चात् क्लासिक–सिल्वर –ग्लोब कॉन्टेक्ट लेस डेविड कार्ड के लिए 125 रूपये की जगह 200 रूपये सालाना फीस चुकानी होगी। इसमें जीएसटी अलग से जोड़ा जायेगा। **एसबीआई को इस वृद्धि को वापस करना चाहिए या इसमें कमी करनी चाहिए।**

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे ऋण लेने वाले खुदरा ग्राहकों और एमएसएमई को एक अक्टूबर, 2024 से सभी प्रमुख तथ्यों का विवरण (KFS) उपलब्ध करायें, इसमें लोन समझौता नियमों से लेकर ब्याज की लागत शामिल है।

आर0बी0आई0 ने कहा है कि विभिन्न Regulated Units की ओर से पेश किये जा रहे वित्तीय उत्पादों पर पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना में भिन्नता को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

KFS लोन समझौते के मुख्य तथ्यों का एक विवरण है जिससे समझौते को सरल एवं आसान भाषा में समझा जा सकता है। इसे लोन लेने वालों को एक मानक के रूप में प्रदान किया जाता है।

नये नियम एक अक्टूबर के बाद लिये जाने वाले सभी नए एवं मौजूदा ग्राहकों पर लागू होंगे। RBI के अनुसार थर्ड पार्टी पार्टी सेवा प्रदाता के पक्ष में लिये जाने वाले किसी भी शुल्क की सूचना भी अलग से दी जाये। यह नियम क्रेडिट कार्ड पर लागू नहीं होंगे।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने स्वास्थ्य बीमा से जुड़े कई नियमों में अहम बदलाव किये हैं। इसके तहत इरडा ने स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए अधिकतम उम्र सीमा को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही बीमा क्लेम (दावा) करने के लिए मोरेटोरियम अवधि को भी घटा दिया है। नये नियमों के तहत अब किसी भी उम्र का आदमी स्वास्थ्य बीमा ले सकता है। **अभी तक कम्पनियॉ 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले को यह सुविधा नहीं देती थी। परन्तु अब 100 या इससे ज्यादा उम्र वाले भी स्वास्थ्य बीमा ले सकता है। कम्पनियॉ इसके लिए मना नहीं कर सकती।**

दिनांक 4 अप्रील, 2024 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से बिहार झारखण्ड एसोसियेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और बिहार फांउडेशन ऑफ अमेरिका के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। विस्तृत रिपोर्ट इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

इस बैठक में बिहार झारखण्ड एसोसियेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह ने कहा कि राजधानी पटना की सड़कों पर सरपट दौड़ रही मंहगी कारें और बाइक देखकर लग रहा है कि बिहार आर्थिक प्रगति के राह पर अग्रसर है। पिछले पॉच सालों में बिहार के आर्थिक परिदृश्य ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और इसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का अहम योगदान है।

बजाना की ओर से 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जुलाई 2025 में ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन होगा और पूरे विश्व में रह रहे बिहारियों को आमंत्रित किया जायेगा।

दिनांक 9 अप्रैल, 2024 को प्रगंत संगणन विकास केन्द्र (सी–डैक) पटना के 37वॉ स्थापना दिवस पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में चैम्बर प्रांगण में **''नागरिक केन्द्रित सेवाओं और सतत् अर्थव्यवस्था के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस''** विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई। इस संगोष्ठी की रिपोर्ट इसी बुलेटीन में प्रकाशित है। संगोष्ठी काफी उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक तथा सफल रही। **जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और समस्याओं के समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेहद उपयोगी है। आने वाले समय में एआई लोगों के लिए काफी उपयोगी होने वाली है।**

30 अप्रैल, 2024 को **श्री अनिल कुमार मुख्य महाडाक अध्यक्ष, बिहार सर्किल** के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक हुई इसमें व्यावसायियों के लिए काफी उपयोगी योजनाओं की जानकारी दी गयी। इसकी रिपोर्ट भी इस बुलेटीन में प्रकाशित है।

सादर,

आपका
सुभाष पटवारी

श्री आलोक कुमार, चेयरमैन, बिहार फाउंडेशन ऑफ अमेरिका को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में श्री संजीव सिंह, अध्यक्ष एवं श्री रंजीत कुमार, बजाना उपस्थित हैं।

श्री रंजीत कुमार, कार्यकारिणी सदस्य, बजाना को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

बजाना के श्री अभिनव अतुल को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित करते श्री प्रदीप चौरसिया, उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ।

श्री उमा शंकर सिन्हा, आस्था फाउंडेशन को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय। साथ में श्री अभिनव अतुल, बजाना।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते श्री संजीव सिंह, अध्यक्ष, बजाना। उनकी बांयी ओर श्री आलोक कुमार, चेयरमैन, बिहार फाउंडेशन ऑफ अमेरिका तथा दांयी ओर क्रमशः श्री सुभाष पटवारी, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते श्री आलोक कुमार, चेयरमैन, बिहार फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। उनकी दांयी ओर क्रमशः श्री संजीव सिंह, अध्यक्ष, बजाना, श्री सुभाष पटवारी, अध्यक्ष, बीसीसीआई, श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बीसीसीआई, श्री आशीष शंकर, उपाध्यक्ष, बीसीसीआई एवं श्री प्रदीप चौरसिया, उपाध्यक्ष, बीसीसीआई।

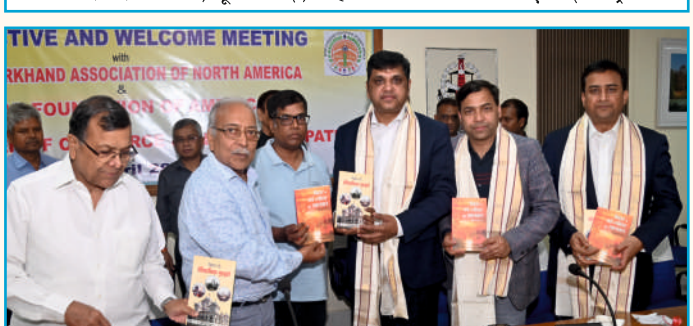

कार्यक्रम में श्री सुबोध कुमार, वरीय संवाददाता, प्रभात खबर स्वरचित पुस्तकें श्री संजीव सिंह, अध्यक्ष, बजाना, श्री आलोक कुमार, चेयरमैन, बिहार फाउंडेशन ऑफ अमेरिका तथा श्री रंजीत कुमार, कार्यकारिणी सदस्य, बजाना एवं श्री सुभाष पटवारी, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा पूर्व अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भेंट करते हुए।

बजाना के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह को चैम्बर का मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। मौके पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया।

श्री आलोक कुमार, चेयरमैन, बिहार फाउंडेशन ऑफ अमेरिका को चैम्बर का मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर के अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। श्री संजीव सिंह, अध्यक्ष, बजाना, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया भी इस अवसर पर उपस्थित हैं।

श्री रंजीत कुमार, कार्यकारिणी सदस्य बजाना को चैम्बर का मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

बिहार झारखण्ड एसोसियेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिहार फाउंडेशन ऑफ अमेरिका एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ।

चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, श्री नवीन गुप्ता, श्री अजय गुप्ता, श्री अखिलेश कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री सुनील सराफ, श्री आशीष प्रसाद, श्री सुधि रंजन, श्री ओ. पी. टिबड़ेवाल, श्री बिनोद कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्यगण इस अवसर पर उपस्थित थे।

नई टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं : वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एक अप्रैल से शुरू हुए नए वित्त वर्ष के लिए आयकर की नई व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर नई व्यवस्था में बदलाव की सूचना के बाद वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त कानून 2023 के सेक्शन 115 बीएसी (1ए) के तहत कर की नई व्यवस्था लागू की गई।

मूल्यांकन वर्ष 2024-25 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय नई कर प्रणाली ही पहले सामने आएगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 2.4.2024)**

2000 के करीब 97.69 फीसदी नोट वापस आये

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि 2,000 रुपये के करीब 97.69 फीसदी नोट बैंकिंग प्रणाली वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी कि चलन से बाहर किए गए नोटों में से केवल 8,202 करोड़ रुपये ही अभी भी जनता के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का एलान किया था। एक बयान में आरबीआई ने कहा, 19 मई 2023 को कारोबार बंद होने के समय प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जब 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी। 29 मार्च 2024 को कारोबार बंद होने पर यह घटकर 8, 202 करोड़ रुपये रह गया है। इस तरह 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का 97.69 फीसदी वापस आ गया है। 2,000 रुपये के बैंक नोट अभी भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। लोग देशभर में आरबीआई के 19 कार्यालयों में 2000 रुपये के बैंक नोट जमा या बदल सकते हैं और देश में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी कार्यालय में इंडिया पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के बैंक नोट भेज सकते हैं। इससे पहले ऐसे नोटों को रखने वाली सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को शुरू में 30 सितंबर 2023 तक या तो उन्हें बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए कहा गया था। बाद में समय सीमा बढ़ाकर 7 अक्तूबर 2023 कर दी गई थी। बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय सेवाएं 7 अक्तूबर 2023 को बंद कर दी गई। इसके बाद 8 अक्तूबर 2023 से लोगों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में या तो मुद्रा का विनिमय करने या उनके बैंक खातों में समान राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया। **(साभार : आज, 02.04.2024)**

जीएसटी काउंसिल के गठन के खिलाफ दायर पीआईएल खारिज

हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल के गठन के खिलाफ दायर पीआईएल को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। वकील अमित पांडेय ने पीआईएल दायर कर कहा कि जीएसटी काउंसिल का गठन संविधान के बुनियादी ढांचे के विरुद्ध है। इसलिए कोर्ट काउंसिल के गठन को असंवैधानिक करार दे। लेकिन कोर्ट मे याचिकाकर्ता के दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी तथ्य पेश नहीं किया गया जिसके कारण इस याचिका में हस्तक्षेप किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से भी इस याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस कानूनी आधार के काउंसिल के गठन को चुनौती देना वकील का अतिउत्साह है। हम हर्जाने के साथ इस याचिका को खारिज करते, लेकिन हम अपने को रोक रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। **(साभार : दैनिक भास्कर, 01.04.2024)**

चैम्बर एवं सी-डैक के संयुक्त तत्वावधान में 'नागरिक-केंद्रित सेवाओं और सतत् अर्थव्यवस्था के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन

संगोष्ठी में मंचासीन दायें से बायें श्री आदित्य कुमार सिन्हा, साइंटिस्ट 'जी' एवं निदेशक, सी-डैक, बिहार एवं बंगाल, श्री सुभाष पटवारी, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, प्रो. (डॉ.) बिन्दे कुमार, निदेशक, आई.जी.आई.एम्.एस., डॉ. डी. आर. सिंह, वाईस चांसलर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवरसिटी, श्री सुशील कुमार, उपाध्यक्ष-सह ग्लोबल हेड, टाटा टेक्नोलॉजी, श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं श्री आर. के. मिश्रा, डीडीजी, एन.आई.सी.।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) के संयुक्त तत्वावधान में इसके 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर चैम्बर के सभागार में दिनांक 9 अप्रील 2024 को **'नागरिक-केंद्रित सेवाओं और सतत् अर्थव्यवस्था के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'** पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने और एक सतत् अर्थव्यवस्था को पोषित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कुल आबादी का करीब तीन हिस्सा लोग गाँव में बसते हैं इसलिए कृषि में एआई के उपयोग से कृषि क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिल सकता है। एआई का उपयोग आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।

संगोष्ठी में सी-डैक पटना और कोलकाता के निदेशक एवं वैज्ञानिक 'जी' आदित्य कुमार सिन्हा ने संगोष्ठी के विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाज के बेहतरी के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने के लिए सी-डैक पटना की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने, दक्षता बढ़ाने और समावेशिता सुनिश्चित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर बल दिया।

संगोष्ठी का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं अतिथिगण।

इस संगोष्ठी के दौरान, मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा **'नागरिक-केंद्रित सेवाओं और सतत् अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका'** नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डी. आर. सिंह उपस्थित थे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी को अंगवस्त्र, पौधा एवं पुस्तक भेंटकर सम्मानित करते सी-डैक के अधिकारी

कार्यक्रम में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को अगंवस्त्र एवं पौधा भेंटकर सम्मानित करते सी-डैक के अधिकारी।

संगोष्ठी को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

संगोष्ठी को संबोधित करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

संगोष्ठी में सम्मिलित बिहार चैम्बर एवं सी-डैक के पदाधिकारीगण एवं सम्मानित सदस्यगण।

श्री आदित्य कुमार सिन्हा, साइंटिस्ट 'जी' एवं निदेशक, सी-डैक, बिहार एवं बंगाल को अंगवस्त्र एवं पौधा भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

श्री सुशील कुमार, उपाध्यक्ष-सह-ग्लोबल हेड, टाटा टेक्नोलॉजी को अंगवस्त्र, पौधा एवं पुस्तक भेंटकर सम्मानित करते बिहार चैम्बर के आई.टी. उप-समिति के संयोजक श्री अखिलेश कुमार।

इंटेलिजेंस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विशेष संबोधन दिया। प्रो. (डॉ.) बिंदे कुमार, निदेशक, आईजीआईएमएस पटना, श्री सुशील कुमार, उपाध्यक्ष और ग्लोबल हेड, टाटा टेक्नोलॉजी, पुणे, डॉ. आर के मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी पटना और चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल जैसे विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

संगोष्ठी में प्रस्तुत किये गए तकनीकी सत्रों में एआई परिदृश्य, कृषि और स्वास्थ्य सेवा में एआई, रणनीतिक क्षेत्र में एआई की भूमिका और रोबोटिक्स स्टार्टअप्स के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिका जैसे व्यापक विषयों को विस्तार से बताया। ए. एन. स्वामी, साई कृष्णा, डॉ. सी. के. पांडा, डॉ. प्रियंकर सिंह, असीम आनंद और डॉ. एस. ए. पसुपथी जैसे प्रख्यात वक्ता ने इन सत्रों का नेतृत्व किया और अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा किया।

श्री पटवारी ने कहा कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी एजेंसियों के हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक मंच है। सार्थक चर्चाओं और इंटरैक्शन के माध्यम से, इसका लक्ष्य एक मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक रास्ता तैयार करना है जो नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सके और एक सतत् अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके।

संगोष्ठी में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री गणेश कुमार खेतडीवाल, संयोजक श्री अखिलेश कुमार, श्री सुधि रंजन, कार्यकारणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद, श्री मुकेश कुमार, श्री बिनोद कुमार, श्री राकेश शर्मा, श्री राज बाबू गुप्ता, श्री नमित पटवारी, लखीसराय चैम्बर के अध्यक्ष श्री विकास सिंह एवं सम्मानित सदस्यगण सम्मिलित हुए।

चैम्बर अध्यक्ष बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन के वार्षिक आम सभा एवं डायरी विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए

कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण।

बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन की वार्षिक आम सभा एवं डायरी विमोचन का कार्यक्रम दिनांक 14 अप्रैल, 2024 को होटल मौर्या, पटना में आयोजित हुआ । बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

श्री सुभाष पटवारी, चैम्बर अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल ने अपने कार्यकाल मे हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी ।

चैम्बर अध्यक्ष ने एसोसियेशन के कार्यों की प्रसंशा की तथा हर दो वर्ष पर एसोसियेशन द्वारा आयोजित होने वाले इलेक्ट्रिक ट्रेड एक्सपो को काफी सराहनीय बताया।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

अब आटो मोड में रहेगा नया आयकर स्लैब

रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी की चाह रखने पर करना होगा बदलाव, आटो मोड में था पुराना आयकर स्लैब, नए का करना होता था चयन

अब वित्तीय वर्ष में बदलाव के साथ ही आयकर रिटर्न की प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था डिफाल्ट मोड में लागू कर दी गई है। इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करते समय अब आयकरदाता को डिफाल्ट मोड में नया आयकर रिजिम देखने को मिलेगा। यदि किसी आयकरदाता को पुराने आयकर रिजिम के आधार पर आयकर भरना हो तो उन्हें इसमें बदलाव कर ओल्ड स्कीम से आयकर भरने की प्रक्रिया करनी होगी। नई आयकर व्यवस्था कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 से डिफाल्ट मोड में लागू की गई है। इसमें करदाताओं के पास टैक्स रिजिम व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। जिन्हें लगता है कि उनके लिए पुराना स्लैब फायदेमंद है तो वे पुरानी स्लैब व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। सीए आशीष रोहतगी व सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इसलिए वे एक वित्तीय वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में नई कर व्यवस्था चुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मी का पुरानी व्यवस्था से टीडीएस का डिडक्शन किया है, कर्मी चाहे तो न्यू रिजिम के तहत आइटीआर फाइल कर सकते हैं।

पुरानी आयकर प्रणाली में ढाई लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं । पांच लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, पांच से 10 लाख की आय पर 20 प्रतिशत आयकर देय होता है। पुरानी प्रणाली में आयकर दाता को होम लोन, 80 सी के तहत डेढ़-लाख रुपये तक की छूट, 80 डी और 80 जी के तहत छूट का लाभ ले सकते हैं।

नई आयकर रिजिम में सात लाख तक आय पर टैक्स नहीं : नए आयकर रिजिम में तीन लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं, तीन लाख से छह लाख रुपये पर पांच प्रतिशत है। इसमें 87ए के तहत आयकर छूट का प्रविधान है। छह लाख से नौ लाख तक 10 प्रतिशत का स्लैब है। इसमें सात लाख की आय पर छूट के प्रविधान है। 9 लाख रुपये से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत तथा 15 लाख रुपये से अधिक की आयकर पर 30 प्रतिशत के हिसाब से आयकर निर्धारित है।

(साभार : दैनिक जागरण, 03.04.2024)

भारत अपना स्वर्ण भंडार तैयार करने में जुटा : आरबीआई गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि भारत अपनी विदेशी मुद्रा की तैनाती के क्रम में स्वर्ण भंडार तैयार करने में जुटा हुआ है। दास ने नीतिगत समीक्षा बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हम सोने का भंडार बना रहे हैं जो हमारे मुद्रा भंडार नियोजन का एक हिस्सा हैं।' हालांकि, उन्होंने इस भंडार के लिए खरीदे गए सोने की मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों की ओर इशारा किया जो स्वर्ण भंडार के मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का मूल्य 51.48 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक था। यह मार्च, 2023 के अंत के मूल्य से 6.28 अरब अमेरिकी डॉलर अधिक है। हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने सिर्फ जनवरी महीने में 8.7 टन सोना खरीदा जो दो साल में सबसे अधिक है। विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक, केंद्रीय बैंक के पास मौजूद सोना जनवरी के अंत में 812.3

मुख्य अतिथि चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल एवं श्री दिनेश अग्रवाल।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन का डायरी विमोचन करते चैम्बर अध्यक्ष एवं एसोसिएशन के पदाधिकारीगण।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

आम सभा में 2024-2027 के लिए श्री प्रकाश अग्रवाल नव निर्वाचित अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला। श्री अरविन्द मित्तल एवं श्री विशाल अग्रवाल ने उपाध्यक्ष, श्री अमित जालान ने सचिव, श्री केशव अग्रवाल ने कोषाध्यक्ष का तथा श्री प्रकाश पुगलिया और संजय तोतला ने संयुक्त सचिव का कार्यभार ग्रहण किया।

कार्यक्रम में बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसियेशन की डायरी का विमोचन भी किया गया।

नव निर्वाचित अधयक्ष श्री प्रकाश अग्रवाल ने दो गरीब मेधावी छात्राओं को गोद लिया एवं उनकी पूरी पढ़ाई का संकल्प लिया।

टन तक पहुंच गया जबकि दिसंबर, 2023 में यह 803.58 टन था। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। इससे पहले दास ने ऐलान किया कि देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 29 मार्च तक 645.6 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।

आरबीआई गवर्नर ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय बैंक ने पिछले चार-पांच वर्षों में जानबूझकर विदेशी मुद्रा भंडार के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि इसका इस्तेमाल भविष्य में किसी भी जोखिम के खिलाफ बफर के रूप में किया जा सके। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 06.04.2024)**

रिटर्न फाइल करने में बिहार 20वें स्थान पर

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले इनकम टैक्सपेयर्स की संख्या के मामले में बिहार देश में 20वें पायदान पर पहुंच गया है. वित्तीय वर्ष 2022- 23 के दौरान बिहार के 21,54,266 लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल किया है. जबकि देशभर में 7,40,09,046 लोगों ने इनकम रिटर्न फाइल किया है. वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात के सबसे अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वाले राज्यों में शुमार है. लेकिन इनमें से बिहार 20वें स्थान पर है. वहीं बिहार के 22 फीसदी लोगों ने ही सरकार को टैक्स दिया है. यानी 78 फीसदी लोगों की टैक्स देनदारी जीरो थी. टैक्स जमा 4,78,603 लोगों ने ही किया.

महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर : देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स महाराष्ट्र से आता है. वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र से 6,14,144.56 करोड़ रुपये की इनकम

वित्तीय वर्ष	स्थान	एक नजर में	रकम
2018-19	18वें		6239.40 करोड़ रुपये
2019-20	17वें		5723.48 करोड़ रुपये
2020-21	18वें		5381.96 करोड़ रुपये
2021-22	17वें		7396.60 करोड़ रुपये
2022-23	20वें		7395.40 करोड़ रुपये

टैक्स वसूली हुई. दिल्ली 2,12,101.08 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा. वहीं कर्नाटक के लोगों ने 2,05,372.11 करोड़ रुपये दिये. जबकि तमिलनाडु 1,07,331.93 करोड़ रुपये की आयकर वसूली के साथ चौथे स्थान पर रहा. वहीं गुजरात राज्य के इनकम टैक्स पेयर्स के 83,993.78 करोड़ के साथ पांचवें स्थान पर है। **(साभार : प्रभात खबर, 06.04.2024)**

भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा : मांडविया

• घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत को सालाना करीब 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है • बंद पड़े संयंत्रों को चालू होने से देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ा

रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि घरेलू विनिर्माण पर बड़े पैमाने पर जोर देने से आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटने में मदद

इस्पात मंत्राालय, भारत सरकार द्वारा स्टील सैक्टर में बढ़ते गैस खपत पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित हाईब्रीड मोड बैठक में चैम्बर शामिल हुआ

दिनांक 2 अप्रील 2024 को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से Meeting to Discuss and Finalize Way-Forwarding for Increasing Gas Consumption in Steel Sector के संबंध में Hybird Mode में बैठक हुई जिसमें चैम्बर की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन Online शामिल हुए।

मिली है। मांडविया ने कहा कि भारतीय कृषि के लिए उर्वरकों की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश पिछले 60-65 साल से फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है। अब सरकार नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डाइअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

मंत्री ने कहा कि "वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग फसल और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए अच्छा है। हम इसे बढ़ावा दे रहे हैं।" यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बारे में पूछे जाने पर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार ने यूरिया आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए दोतरफा रणनीति अपनाई है। मंत्री ने बताया सरकार ने चार बंद यूरिया संयंत्रों को फिर शुरू किया है और एक अन्य कारखाने को वापस चालू करने का काम जारी है। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 6.4.2024)**

बैंक और एटीएम की सुरक्षा के लिए बढ़ाई जाएगी ई-निगरानी

राज्य में बैंकों और एटीएम की सुरक्षा-व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी। इसके लिए बैंक की शाखाओं और एटीएम में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही एटीएम की ई-निगरानी की व्यवस्था भी सृदृढ़ की जाएगी। राजधानी के रिजर्व बैंक आफ इंडिया परिसर में हुई राज्यस्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों को इसको लेकर कार्ययोजना तैयार करने की सलाह दी है।

उन्होंने नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में नकली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन और संबंधित पहलुओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के दौरान राज्य में मुद्रा तिजोरी, बैंकों और एटीएम की सुरक्षा और खजाने की आवाजाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने राज्य में मुद्रा प्रबंधन कार्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बैंकों को विशेषकर बिहार के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों व जिलों में बैंक नोटों और नकली भारतीय मुद्रा नोटों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने की सलाह दी।

आरबीआइ के सुरक्षा सलाहकार प्रभात रंजन ने सुरक्षा संबंधी खतरों को सूचीबद्ध किया और उनसे निपटने के लिए बैंकों को उठाए जा सकने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार करने की सलाह दी। संचालन भारतीय रिजर्व बैंक पटना के महाप्रबंधक प्रभात कुमार ने किया।

बैठक में गृह विभाग की विशेष सचिव के सुहिता अनुपम के साथ विभिन्न बैंकों के नियंत्रक प्रमुख भी शामिल रहे।

(साभार : दैनिक जागरण, 10.04.2024)

NABARD EXTENDS FIN SUPPORT OF ₹10,372 CR TO STATE

The National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard) extended financial support of a total of Rs 10,372.86 crore in Bihar during the financial year 2023-24 in the form of refinance, direct finance and grant support, its chief general manager (CGM) Bihar Sunil Kumar said a day after the end of the fiscal year. "This is the highest financial support extended by Nabard to the state in a year so far and recorded a growth of 21% over the previous financial year (2022-23)," the CGM said. "Refinance was extended for production credit, investment credit and for paddy procurement operations of different commercial banks, regional rural banks (RRBs) and co-operative banks, while direct finance support was extended to the state govt for creation of rural infrastructures. Similarly, the grant support was extended to various agencies for piloting developmental initiatives in the field of farmers' producer organisations (FPOs), watershed development, tribal development, primary agriculture cooperative societies (PACS) computerisation programme, skill and enterprise development, financial literacy and awareness programmes in the rural areas," Kumar said. **(Source : T.O.I, 02.04.2024)**

बैंकिंग धेखाधड़ी रोकने को केवाईसी प्रक्रिया सख्त होगी

डिजिटल दुनिया के इस दौर में बैंकिंग धोखाधड़ी और ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसके शिकार शहर से लेकर गांव तक के लोग बन रहे हैं। इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने बैंकों को केवाईसी प्रक्रिया (अपने ग्राहकों को जानो) और बैंक प्रतिनिधि की जांच को और सख्त बनाने के निर्देश दिए हैं।

बीओबी ऐप घोटाले से सतर्क हुआ मंत्रालय : बताया जा रहा है कि साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने को लेकर हाल में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई, जिसमें साइबर सुरक्षा के जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्रालय चाहता है कि बीओबी वर्ल्ड ऐप घोटाले जैसे मामलों की रोकथाम के लिए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अतिरिक्त सुरक्षा कदम उठाएं।

क्या है बीओबी ऐप घोटाला : जुलाई 2023 में यह खुलासा हुआ था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप 'बॉब वर्ल्ड' पर ग्राहक संख्या ज्यादा दिखाने के

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा "Draft Report of Climate Resilient and Low-Carbon Development Pathway for Bihar" पर आयोजित feedback बैठक में चैम्बर शामिल हुआ

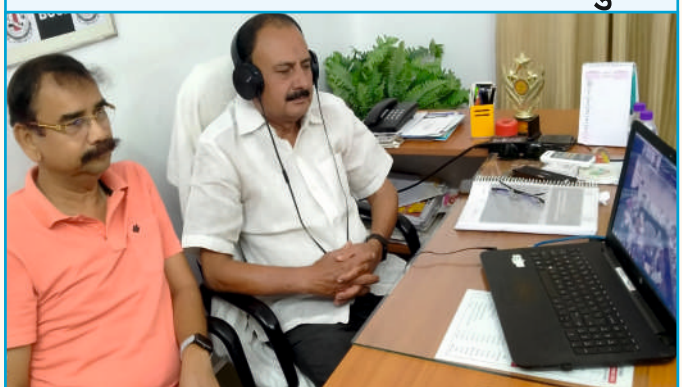

दिनांक 2 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से Feedback Meeting हुई जिसमें Draft Report of Climate Resilient and Low-Carbon Development Pathway for Bihar पर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन Online शामिल हुए।

लिए बैंक के मौजूदा ग्राहकों के डाटा के साथ छेड़छाड़ की गई। बैंक कर्मियों ने अनधिकृत मोबाइल नंबरों को उन ग्राहकों के खातों से जोड़ा था, जिनके खाते से मोबाइल नंबर नहीं जुड़े थे। ये अनधिकृत नंबर कर्मचारियों, शाखा प्रबंधकों, गार्डों, उनके रिश्तेदारों और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले बैंक एजेंटों के थे। बैंक प्रतिनिधियों ने गलत तरीके से कई ग्राहकों के खातों से रुपये भी निकाले थे। उसी साल अक्तूबर में आरबीआई ने इस मामले में बैंक पर कार्रवाई करते हुए ऐप से नए जोड़ने पर पाबंदी लगा दी थी।

बैंकिंग प्रतिनिधियों की गहन जांच होगी : सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा है कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं देने वाले दुकानदारों (मर्चेंट) तथा बैंकिंग प्रतिनिधि को जोड़ने से पहले बैंक और वित्तीय संस्थान इनकी गहन जांच-परख करें। साथ ही दुकानदारों और बैंकिंग प्रतिनिधि के स्तर पर आंकड़ों (डाटा) की सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इनके स्तर पर डाटा में सेंध लगने की आशंका अधिक होती है।

लोन ऐप पर भी शिकंजा : बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों के तहत रिजर्व बैंक अवैध ऋण देने वाले ऐप की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (डिजिटा) स्थापित करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित एजेंसी डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के सत्यापन में मदद करेगी और सत्यापित ऐप का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाएगी ।

साइबर ठगी के 11 लाख से अधिक केस : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में वित्तीय साइबर ठगी के 11,28,265 मामले सामने आए। इन मामलों में 7,488.63 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई।

ऑनलाइन ठगी से बचें : • अज्ञात फोन कॉल का उत्तर न दें या संदिग्ध यूआरएल और लिंक पर क्लिक न करें • किसी व्यक्ति से या फोन पर कॉल पर अपनी निजी जानकारी और ओटीपी शेयर न करें • धोखाधडी होने की स्थिति में इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर के नंबर 011-23438207 और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.04.2024)

बड़ी कंपनियों की जीएसटी जांच के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी

जीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारियों को अब किसी भी बड़े औद्योगिक घराने या प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले अपने क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों की मंजूरी लेनी होगी।

उन्हें पहली बार वस्तुओं / सेवाओं पर शुल्क लगाने के लिए भी क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्तों की मंजूरी लेनी होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार जब एक करदाता की जांच राज्य जीएसटी और डीजीजीआई अधिकारी कर रहे हैं, तो प्रधान आयुक्त इस संभावना पर विचार करेंगे कि करदाता के संबंध में सभी मामलों को एक कार्यालय द्वारा आगे बढ़ाया जाए।

दिशानिर्देशों में कर अधिकारियों के लिए जांच शुरू होने के एक साल के भीतर जांच पूरी करने की समय सीमा भी तय की गई है। सीबीआईसी ने आगे कहा कि किसी सूचीबद्ध कंपनी या पीएसयू के संबंध में जांच शुरू करने या उनसे विवरण मांगने के लिए सीजीएसटी अधिकारियों को इकाई के नामित अधिकारी को समन भेजने के बजाए आधिकारिक पत्र जारी करना चाहिए।

बोर्ड ने कहा कि इस पत्र में जांच के कारणों का विवरण देना चाहिए और उचित समय अवधि के भीतर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग करनी चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि कर अधिकारियों को करदाता से वह जानकारी नहीं मांगनी चाहिए, जो जीएसटी पोर्टल पर पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है।

दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक जांच प्रधान आयुक्त की मंजूरी के बाद ही शुरू की जानी चाहिए। हालांकि, चार श्रेणियों में जांच शुरू करने और कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त की लिखित में पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी। इन चार श्रेणियों में किसी भी क्षेत्र / वस्तु/ सेवा पर पहली बार कर/ शुल्क लगाने की मांग करने वाली व्याख्या के मामले शामिल हैं। इसके अलावा बड़े औद्योगिक घराने और प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगम से जुड़े मामले, संवेदनशील मामले या राष्ट्रीय महत्व के मामले और ऐसे मामले जो पहले से ही जीएसटी परिषद के समक्ष हैं, इसमें शामिल हैं। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 1.4.2024)**

संपत्ति शुल्क के बकाएदारों को देनी होगी 1.5% पेनाल्टी

नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के भुगतान के लिए लगातार अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया गया। इसके बावजूद जिन बकाएदारों ने भुगतान नहीं किया है, उन्हें अब डेढ़ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। विशेष अभियान के तहत करीब 400 बड़े बकाएदारों को चिह्नित किया गया था। उन्हें 31 मार्च तक संपत्ति शुल्क का भुगतान करने का मौका दिया गया था। लेकिन, जिन्होंने भुगतान नहीं किया है, उन्हें अब 1.5 प्रतिशत पेनाल्टी के साथ शुल्क जमा करना पड़ेगा। निगम सभी बड़े बकाएदारों की संपत्ति की बिक्री पर भी रोक लगा चुका है। इस संबंध में नोटिस भी चिपकाए जा चुके हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 02.04.2024)

जीएसटी तर्कसंगत बनाने का एजेंडा हो रहा तैयार

केंद्र सरकार के मंत्री भले ही चुनाव लड़ने या प्रचार में जुटे हों, लेकिन मंत्रालय के सभी अधिकारी आगामी सरकार के 100 दिनों के एजेंडा को तैयार करने में जोर-शोर से जुटे हैं। कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 100 दिनों के एजेंडा को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित हो सकती है।

सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के आगामी 100 दिनों में उन आर्थिक मसलों पर फैसला किया जाएगा या उन मामलों को आगे बढ़ाया जाएगा जो अब तक लंबित हैं। सूत्रों के मुताबिक नया लेबर कोड पिछले एक साल से भी अधिक समय से तैयार है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है।

चैम्बर द्वारा डाक विभाग के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

बैठक को संबोधित करते श्री अनिल कुमार, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्किल। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय। बाँयी ओर डाक निदेशक श्री पवन कुमार, वरीय अधीक्षक श्री राजदेव प्रसाद, आरएमएस के वरीय अधीक्षक श्री मनीष कुमार, अधीक्षक पटना साहिब मंडल श्री रणधीर कुमार।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा डाक विभाग, बिहार परिमंडल के सहयोग से विशेष रूप से राज्य के व्यवसाइयों हेतु डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए दिनांक 30 अप्रैल 2024 को चैम्बर प्रांगण में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने अतिथियों एवं गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि आज के इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं से आप सभी को अवगत कराना है जिससे अधिकाधिक लोग इसका लाभ उठायें क्योंकि डाक विभाग ने समय के साथ ग्राहकों के बहुत सारी सेवाओं का विस्तार किया है एवं उन्हें आकर्षक बनाया है। भारतीय डाक दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन डाक प्रणाली है।

(शेष पृष्ठ 12 पर)

निर्यात को अगले चरण में ले जाने पर होगी चर्चा : मैन्यूफैक्चरिंग व वस्तु निर्यात को अगले चरण पर ले जाने के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। वहीं निर्यात में अधिक से अधिक एमएसएमई की भागीदारी के लिए भी स्कीम बनाने पर फैसला हो सकता है। अगले दो-तीन सालों में डिजिटल इकोनामी की आठ प्रतिशत की हिस्सेदारी को 20-25 प्रतिशत तक ले जाने को लेकर भी नई सरकार अभी से अपने प्रयास शुरू कर देगी। इस दिशा में भी कैबिनेट सचिव की बैठक में चर्चा हो सकती है। **(साभार : दैनिक जागरण, 11.04.2024)**

STATE RECORDS 18% RISE IN TAX COLLECTION IN 2023-24

The Commercial taxes department has witnessed a rise of 18.13% in goods and services tax (GST) collection in the financial year 2023-24 as compared to 2022-23.

It collected Rs 1,058 crore in state GST in March alone, the highest in the last seven years. In fact, the monthly overall revenue of Rs 5,403.15 crore collected in March is the highest in any given month so far.

The state collected a total revenue of Rs 38,161 crore in GST and other taxes in 2023-24, as compared to Rs 34,541 crore in previous 2022-23 financial year. The revenue has, in fact, more than doubled from Rs 17,236 in 2017-18, a released by the department read.

Commercial taxes commissioner-cum-secretary gave the credit of this rise to data analytics, besides her departmental colleagues.

The department said that special focus was on the service sector, besides GST audits, issue-based adjudication and enforcement directorate action against tax evasion. Besides, suppliers at panchayat level were brought under the purview of the SGST, the department said in the release.

(Source : T.O.I, 02.04.2024)

'एक वाहन, एक फास्टैग' नियम देश भर में लागू

एक वाहन के कई फास्टैग लेने वाले होंगे हतोत्साहित

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का 'एक वाहन, एक फास्टैग' मानदंड 1.4.2024 से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग के इस्तेमाल या एक वाहन से कई फास्टैग संबद्ध करने को हतोत्साहित करना है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग नहीं लगाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, जिन लोगों के पास एक वाहन के लिए कई फास्टैग हैं, वे एक अप्रैल से उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों की समस्याओं को देखते हुए 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल के अनुपालन की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।

फास्टैग भारत में टोल संग्रह की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है और इसका संचालन एनएचएआई करता है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर सुगम आवाजाही के लिए एनएचएआई ने 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल शुरू की है। इसके जरिये प्राधिकरण कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के साथ कई फास्टैग को किसी खास वाहन से संबद्ध करने पर रोक लगाना चाहता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के ग्राहकों और कारोबारियों को 15 मार्च तक अपने खाते दूसरे बैंकों में स्थानांतरित करने की सलाह दी थी। फास्टैग की पहुंच लगभग 98 प्रतिशत वाहनों तक है और इसके आठ करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। फास्टैग में सीधे टोल मालिक से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 02.04.2024)**

चीफ पोस्टमास्टर जनरल श्री अनिल कुमार का पुष्णगुच्छ से स्वागत एवं अंगवस्त्र से सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी।

डाक विभाग के निदेशक श्री पवन कुमार का पुष्णगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन।

श्री राजदेव प्रसाद, वरीय अधीक्षक, पोस्टल सर्विस, पटना का अंगवस्त्र से सम्मानित करते चैम्बर के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

श्री मनीष कुमार, वरीय अधीक्षक, रेलवे मेल सर्विस का पुष्णगुच्छ से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया।

राष्ट्र निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। आम आदमी को डाकघरों और पोस्टमैन पर दृढ विश्वास है। तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद इस प्रकार का जन विश्वास और कोई संस्था अर्जित नहीं कर सकी है। श्री पटवारी ने आगे कहा कि डाक विभाग देश के संचार की रीढ़ रहा है और इसने देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कई मायनों में भारतीय नागरिकों के जीवन को छूता है यथा डाक पहुँचाना, छोटी-बड़ी बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा के तहत जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। वेतन वितरण एवं वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसी

(शेष पृष्ठ 13 पर)

आधार एटीएम की मदद से घर पर ही नकदी पा सकेंगे

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार एटीएम (एईपीएस) सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक घर बैठे ही नकदी पा सकेंगे। उन्हें बैंक या पास नजदीकी एटीएम बूथ पर जाने की जरूरत नहीं होगी । इस सेवा में स्थानीय डाकिया घर पर नकद पहुंचाएगा। यह भुगतान सेवा पूरी तरह आधार सिस्टम पर आधारित है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने बायोमैट्रिक का इस्तेमाल करके लेनदेन कर सकता है। इसके लिए बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इस सुविधा के जरिए नकदी निकासी के अलावा बैलेंस पता करना और खाते का विवरण निकाला जा सकता है।

इस संबंध में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि घर बैठे तत्काल नकद प्राप्त करने के आधार एटीएम सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे समय भी बचेगा।

डाकिया घर माइक्रो एटीएम लेकर पहुंचेगा : घर बैठे नकदी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके बाद डाकिया माइक्रो एटीएम लेकर ग्राहक के घर पहुंचेगा। ग्राहक को केवल बायोमैट्रिक का इस्तेमाल करना होगा । आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। पहचान सत्यापित होते ही डाकिया नकदी दे देगा। यह पैसा ग्राहक के बैंक खाते से कट जाएगा।

कितना शुल्क लगेगा : इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अनुसार, घर पर नकद मंगाने के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। हालांकि यह डोर स्टेप सेवा का इस्तेमाल करने पर बैंक सेवा चार्ज वसूल सकता है।

इतनी रकम मंगा सकेंगे : • राष्ट्रीय भुगतान निगम ने प्रति एईपीएस लेनदेन पर अधिकतम लेनदेन सीमा 10,000 रुपये है • ग्राहकों को लेनदेन के लिए सही बैंक चुनना होगा। सिर्फ प्राथमिक खाते से ही रकम काटी जाएगी।

ऐसे कर पाएंगे इसका इस्तेमाल : • सबसे पहले वेबसाइट (https://ippbonline.com) पर जाकर डोर स्टेप बैंकिंग के विकल्प को चुनें। यहां नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, पिन कोड, करीबी डाकघर और उस बैंक का नाम दर्ज करें जिसमें आपका खाता है • इसके बाद आपको Agree के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कुछ ही देर में डाकिया आपके घर पर पहुंचकर नकद निकासी प्रक्रिया को पूरी करेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.4.2024)**

अपने सोने की असल कीमत का पता लगाकर ही गोल्ड लोन लें

देश में पिछले कुछ समय से गोल्ड लोन बाजार में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। कई कंपनियां सोने की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर ग्राहकों को गिरवी रखे गए जेवर के बदले कम कर्ज दे रही हैं।

इससे ग्राहकों को बड़ी चपत लग रही है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने इन कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ग्राहकों के लिए गोल्ड लोन लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि वह इन कंपनियों के जाल में न फंस पाएं।

श्री रणधीर कुमार, अधीक्षक, पटना साहिब प्रमंडल का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र से स्वागत एवं सम्मानित करते चैम्बर उपाध्यक्ष की आशीष शंकर।

श्री अनिल कुमार, डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर, जीपीओ का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र से स्वागत एवं सम्मानित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

श्री नवीन कुमार, सहायक निदेशक, डाक विभाग का अंगवस्त्र से सम्मानित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर।

कार्यक्रम में स्वागत संवोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। उनकी बाँयी ओर क्रमशः सीपीएमजी श्री अनिल कुमार, निदेशक श्री पवन कुमार, वरीय अधीक्षक पोस्टल सर्विस श्री राजदेव प्रसाद, वरीय अधीक्षक आरएमएस श्री मनीष कुमार, अधीक्षक, पटना साहिब प्रमंडल श्री रणधीर कुमार।

सेवाओं से भारतीय डाक भारतीय नागरिकों में एक अलग पहचान बनाए हुए है।

इस अवसर पर डाक विभाग के निदेशक श्री पवन कुमार ने बताया कि हमलोग पासपोर्ट बनाने, आधारकार्ड बनाने, गंगाजल एवं सभी प्रकार के उत्पादित वस्तुओं को हर प्रकार के लोगों के पास अपनी पहुँचा रहे हैं।

चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एवं इंडिया पोस्ट सर्विस का मॉल बन गया है उन्होंने डाक विभाग द्वारा जारी विभिन्न सेवाओं के सम्बन्ध में पॉवर प्वाइन्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सदस्यों को विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि निर्यात सेवा केंद्र का लाभ उठाकर निर्यातक अपने उत्पादों को विदेशों तक आसानी से कम खर्च में सुरक्षित पहुँचा सकते हैं। निर्यातक स्वयं पंजीयन करवा सकते हैं। उनके घर से सामान डाकघर लाया जायेगा। जहाँ से विदेशों तक पहुँचाने का काम डाक विभाग करेगा। उन्होंने कॉमन सर्विस सेवाओं के बारे में भी बताया।

इस अवसर पर डाक विभाग के अधिकारियों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र

(शेष पृष्ठ 14 पर)

ये सावधानियाँ बरतें

धांधली में कई बड़ी कंपनियां शामिल : आरबीआई ने जांच में पाया है कि गोल्ड लोन देने में बैंकों और एनबीएफसी द्वारा नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। ये वित्त कंपनियां जानबूझकर सोने की कम कीमत आंक रही हैं, जिससे ग्राहकों को कर्ज की रकम कम मिल रही है। इस धांधली में कई नामी गोल्ड लोन कंपनियां शामिल हैं।

ब्याज दर और प्रक्रिया शुल्क में भारी अंतर : कई गोल्ड लोन कंपनियां ज्यादा ब्याज दर वसूलती हैं। सरकारी बैंक 8.75 से लेकर 11% तक ब्याज वसूलते हैं लेकिन एनबीएफसी की ब्याज दर 36% तक है। इसी तरह सरकारी बैंक 0.5% तक प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। वहीं, एनबीएफसी एक फीसदी या इससे भी ज्यादा प्रक्रिया शुल्क वसूल सकते हैं।

ये गड़बड़ियां सामने आई : • कुछ कंपनियां ग्राहकों के सोने की कीमत कम आंक रही हैं। लोन-टू वैल्यू रेश्यो बताता है कि गिरवी रखे सोने के बदले अधिकतम कितना लोन मिल सकता है • कुछ कंपनियां 22 कैरेट सोने के आभूषणों को 20 या 18 कैरेट का बता देती हैं। इससे सोने का मूल्यांकन कम हो जाता है और ग्राहक को कम लोन मिलता है।

सोने की गुणवत्ता की जांच कराएं : कई ज्वेलर्स मामूली शुल्क से यह सुविधा देते हैं। यहां कैरेटोमीटर से सोने के कैरेट की जांच होती है।

हॉलमार्क सोने का करें इस्तेमाल : अगर ग्राहक के पास हॉलमार्क ज्वेलरी होती है तो लोन लेते समय बेहतर सौदेबाजी की स्थिति में होता है।

कर्ज देने वाले की विश्वसनीयता जांचें : जहां से लोन ले रहे हैं, वह एक भरोसेमंद वित्तीय संस्थान हो । हाल ही में कई संस्थानों की गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, जिन्होंने ग्राहकों को चपत लगाई है।

ब्याज दरों और अन्य शुल्क की तुलना करें : कौन सा बैंक या वित्तीय संस्थान कितना ब्याज और शुल्क वसूल रहा है, इसकी तुलना करने के बाद ही गोल्ड लोन के लिए आवेदन करें। वेबसाइट से ब्याज दरें पता कर सकते हैं। **शर्तों को ठीक से पढ़ें :** कई संस्थान लोन की ईएमआई सही समय पर नहीं मिलने पर हर महीने ब्याज दर बढ़ाते जाते हैं। इसलिए उनकी शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है।

गोल्ड लोन की प्रक्रिया : • गोल्ड लोन लेने के लिए आपको अपना सोना या जेवर और कुछ जरूरी दस्तावेज बैंक या लोन कंपनी को देने होते हैं • कंपनी सोने का मूल्यांकन और दस्तावेज की जांच करती है • मूल्यांकन के आधार पर 75% तक लोन राशि मंजूर होती है • लोन के समझौते के अनुसार, ग्राहक हर महीने लोन की मुख्य राशि और ब्याज चुकाता है • जब ग्राहक पूरा लोन चुका देता है तो उसे गिरवी रखा गया सोना या जेवर वापस कर दिया जाता है • कर्ज न चुकाने की स्थिति में कंपनियां गिरवी रखे गए सोने की नीलामी करती है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 01.04.2024)

कार्यक्रम को संबोधित करते श्री अनिल कुमार चीक पोस्टमास्टर जनरल। उनकी दाँयीं ओर श्री सुभाष पटवारी, चैम्बर अध्यक्ष एवं श्री आशीष शंकर, उपाध्यक्ष तथा बाँयीं ओर श्री पवन कुमार, निदेशक डाक।

श्री अनिल कुमार, चीफ पोस्टमास्टर जनरल को मेमेन्टो एवं चैम्बर का हैंड बुक भेंटकर सम्मनित करते चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर। साथ में श्री प्रदीप चौरसिया, उपाध्यक्ष एवं श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, महामंत्री उपस्थित है।

एवं चैम्बर का हैण्डबुक देकर स्वागत एवं सम्मानित किया गया।

जागरूकता कार्यक्रम में डाक विभाग कि ओर से श्री राजदेव प्रसाद वरीय अधीक्षक, पोस्टल सर्विस, श्री मनीष कुमार वरीय अधीक्षक, रेलवे मेल सर्विस, श्री रणधीर कुमार, अधीक्षक, पटना साहिब मंडल, श्री अनिल कुमार, उप मुख्य पोस्टमास्टर जीपीओ एवं श्री नवीन कुमार सहायक निदेशक सम्मलित हुए।

इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री गणेश कुमार खेतडीवाल एवं श्री पी.के. सिंह, कार्यकारणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री संजय अग्रवाल, श्री नवीन गुप्ता, श्री आशीष प्रसाद, श्री बिनोद कुमार, श्री अजय गुप्ता, श्री सुनील सराफ, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री शशि गोयल, श्री राकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री पवन भगत, श्री रवि गुप्ता, श्री सच्चिदानंद सहित कई व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा मीडियाबन्धु उपस्थित थे।

डाक विभाग विदेश पहुंचाएगा आपके उत्पाद

विदेशों तक उत्पाद भेजने को कराएं डाक निर्यात केंद्र में निबंधन, कस्टम क्लीयरेंस जैसी औपचारिकताएं पूरी कराएगा डाक विभाग

राज्य में छोटे व सीमांत उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए पोस्टल विभाग की ओर से डाक निर्यात केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे लगभग 50 केंद्र बनाए गए हैं। इसके जरिए लघु व कुटीर उद्यमी या आम आदमी द्वारा कोई उत्पाद विदेश बेचना चाहे तो डाकघर उसकी मदद करेगा। डाक घर न केवल उसे गंतव्य तक पहुंचाएगा, बल्कि आयात-निर्यात लाइसेंस व कस्टम क्लीयरेंस दिलाने में भी मदद करेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उद्यमी अपने नजदीकी डाक निर्यात केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

बिहार के डाक मुख्य महाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि निर्यात केंद्र से उद्यमियों को सभी तरह के लाभ मिलेंगे। एक बार उद्यमी अपने उत्पाद की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराएंगे या फिर निर्यात केंद्रों में सूचना देंगे। यहां के कर्मचारी संबंधित उद्यमियों को आवश्यक जानकारी के साथ-साथ उत्पादों को गंतव्य तक पहुंचाने का जिम्मा उठाएंगे। आयात-निर्यात लाइसेंस, कस्टम क्लीयरेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सहित सभी तरह के कागजी प्रक्रिया को पूरी कराने में भी डाककर्मी मदद करेंगे। **(साभार : दैनिक जागरण, 15.04.2024)**

एमएसएमई को 15 दिनों में भुगतान नहीं, तो उस खर्च को कर योग्य आय से नहीं घटा सकेंगे

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को समय पर भुगतान के लिए आयकर नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है. इसके तहत कंपनियां अगर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एमएसएमइ को भुगतान 15 दिनों अथवा अगर तय समय सीमा 45 दिनों की है, तो 45 दिनों में नहीं करती है, तो वैसे खरीद की राशि को उनके उस वर्ष की आय में जोड़ दिया जायेगा. यानी उन्हें अधिक कर का भुगतान करना होगा. साथ ही जिस वित्तीय वर्ष में वे उस बिल का भुगतान करेंगे, उस वित्तीय वर्ष में उसके खर्च का दावा कर सकेंगे. यह जानकारी वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश खेतान ने दी. वित्त अधिनियम 2023 के जरिये से पेश आयकर अधिनियम की धारा 43 बी (एच) के अनुसार अगर कोई व्यवसायी एमएसएमइ को समय पर भुगतान नहीं करता है, तो लिखित समझौतों के मामले में 45 दिनों के भीतर अन्यथा 15 दिनों के भीतर तो वह उस खर्च को अपने कर योग्य आय से नहीं घटा सकेगा. उन्होंने बताया कि इससे उन्हें अधिक कर देना पड़ सकता है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का कहना है कि नये नियम में एमएसएमइ के लिए पासा पलटने वाला बनने की क्षमता है. एमएसएमइ को भय है कि इस प्रावधान के कारण बड़े खरीदार एमएसएमइ आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उदासीन हो सकते हैं. वे या तो उन एमएसएमइ से खरीदारी शुरू कर सकते हैं, जो उद्यम के साथ पंजीकृत नहीं हैं या फिर गैर- एमएसएमइ से जरूरत का सामान ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि धारा 43बी (एच) ने एमएसएमइ और बड़े व्यवसायों दोनों के बीच कुछ आशंकाएं पैदा की हैं. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम लाल खेतान ने बताया सप्लायरों को केवल इसलिए बदलना कि पेमेंट शर्तों पर बातचीत करते समय एमएसएमइ की स्थिति को मजबूत करता है. समय पर भुगतान बकाया राशि पर संभावित विवादों और कानूनी समस्याओं को कम कर सकता है. यह एमएसएमइ परिवेश में अधिक पारदर्शी और जवाबदेह कारोबार गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है. खेतान ने सरकार से नये पेमेंट नियमों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आग्रह किया है।

(साभार : प्रभात खबर, 04.04.2024)

जल प्रदूषण नियम में बदलाव से औद्योगीकरण को मिलेगा बढ़ावा

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट 1974 में बड़ा बदलाव किया गया है. इसमें औद्योगिक इकाइयों को जल प्रदूषण कानून में राहत दी गयी है. इस विषय पर बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल प्रदूषण नियंत्रण विशेषज्ञ नलिनी मोहन सिंह ने बताया कि यह नियम देश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है जिसमें जल प्रदूषण को अब अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा. 1974 में बनाये गये इस नियम के तहत 1 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल की जेल का प्रावधान था.

(साभार : प्रभात खबर, 06.04.2024)

वायुयान संगठन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार ने राजगीर एवं भागलपुर में 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। संबंधित बिहार गजट नोटिफिकेशन आपके सूचनार्थ प्रकाशित है :-

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र 1946 (श०)
(सं० पटना 397) पटना, शुक्रवार, 19 अप्रील 2024

वायुयान संगठन निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना
15 मार्च 2024

सं०सि०वि०नि०(योजना)-10-01/2024/212–भागलपुर हवाई अड्डा भागलपुर शहर के बीचों-बीच अवस्थित है। वर्त्तमान में एयरस्ट्रीप के आस-पास बहुत सारे ऊँचे भवनों का निर्माण हो गया है जिसके कारण उड़ान गतिविधि बाधित हो गई है।

भागलपुर हवाई अड्डा के परिचालन हेतु विभिन्न ऑपरेटर को ट्रायल हेतु अनुमति दिया गया परन्तु शहर के बीचों-बीच हवाई अड्डा के आस-पास विभिन्न इमारत निर्मित होने के कारण ट्रायल उड़ान का परिचालन नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में अब इस हवाई अड्डे की उपयोगिता सीमित रह गई है।

उपर्युक्त के आलोक में भागलपुर में वर्तमान हवाई अड्डे को स्थानान्तरित करते हुए न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निशीथ वर्मा
सरकार के अपर सचिव।

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र 1946 (श०)
(सं० पटना 398) पटना, शुक्रवार, 19 अप्रील 2024

वायुयान संगठन निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना
15 मार्च 2024

सं० सि०वि०नि० (योजना)-10-08/2023/213-राजगीर में वर्त्तमान में हवाई अड्डा नहीं है। राजगीर में बहुत सारे नये भवन, प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान यथा नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार पुलिस अकादमी, जू सफारी, ऑडिनेंस फैक्ट्री इत्यादि एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराना नालंदा विश्वविद्यालय खण्डहर स्थित है। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डा आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक कार्य, पर्यटन के विकास, अन्तराष्ट्रीय महत्व के बैठक / गोष्ठियाँ, अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु आवश्यक है ।

उपर्युक्त के आलोक में राजगीर में विमान के परिचालन हेतु न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर हवाई अड्डा के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
निशीथ वर्मा
सरकार के अपर सचिव।

एथनॉल बनाने के लिए बी-हैवी शीरा के उपयोग की अनुमति दे सकती है सरकार

सरकार चीनी मिलों को कच्चे माल के रूप में अपने अतिरिक्त बी- हैवी शीरा का इस्तेमाल करके एथनॉल बनाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। बाजार में चीनी की संतोषजनक आपूर्ति और स्थिर कीमतों के बीच इस बात पर गौर किया जा रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। चीनी मिलों के पास वर्तमान में आठ लाख टन से अधिक बी-हैवी शीरा है। इसके इस्तेमाल पर सात दिसंबर को प्रतिबंध लगने से पहले इसका उत्पादन किया गया था। सरकार ने एक हफ्ते बाद प्रतिबंध को हटा दिया था और गन्ने के रस तथा बी-हैवी शीरा दोनों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। हालांकि 2023-24 आपूर्ति वर्ष (नवंबर- अक्टूबर) के लिए एथनॉल उत्पादन के लिए 17 लाख टन की कुल सीमा के भीतर अनुमति दी गई थी।

सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, " पेराई खत्म होने के बाद एथनॉल बनाने के लिए उद्योग ने बी-हैवी शीरे का भंडारण किया, लेकिन सरकार ने अचानक इसके इस्तेमाल की सीमा तय कर दी। मिलों के पास अब बी-हैवी शीरा का अतिरिक्त भंडार है। सूत्रों ने कहा कि अब जब पेराई समाप्त हो रही है, तो चीनी उद्योग सरकार से एथनॉल उत्पादन के लिए बी-हैवी शीरा के उपलब्ध अतिरिक्त भंडारण के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग कर रहा है।

सूत्रों ने. कहा, " प्रस्ताव विचाराधीन है। चर्चा जारी है।" उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को घरेलू चीनी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी जा सकती है। 2023-24 मौसम (अक्टूबर- सितंबर) में अब तक 300 लाख टन से अधिक का उत्पादन हो चुका है, जो मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यहां तक कि खुदरा कीमतें भी स्थिर हैं। चालू 2023-24 मौसम में चीनी का उत्पादन 315-320 लाख टन के बीच होने का अनुमान है। **(राष्ट्रीय सहारा, 04.04.2024)**

पांच किमी पाइपलाइन नहीं बिछने से फतुहा की फैक्ट्रियों में नहीं हो पा रही, पीएनजी की सप्लाई

फतुहा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में कार्बन का उत्सर्जन करने वाले डीजल, कोयला, लकड़ी, एलपीजी आदि की जगह पीएनजी का इस्तेमाल होगा। वहां पीएनजी की सप्लाई के लिए 28 किमी पाइपलाइन बिछानी है। लेकिन, करीब 23 किमी पाइपलाइन बिछने के बाद काम रुक गया है। वजह, पटना जीरोमाइल से रामलखन पथ तक एनएच के किनारे करीब 5 किमी पाइप डालने के लिए एनएचएआई से एनओसी अबतक नहीं मिला है। जबकि, एक माह पहले ही गेल ने एनओसी मांगा था। फुलवारी से अनीसाबाद गोलंबर, बाइपास से सिपारा होते रामलखन पथ तक बिछाकर छोड़ दिया गया है। वहीं जीरोमाइल से लेकर फतुहा औद्योगिक क्षेत्र तक पाइप डाला गया है। बीच में 5 किमी का काम नहीं होने से पीएनजी की सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही है। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में 80 फीसदी पीएनजी पाइपलाइन का विस्तार हो गया है और सप्लाई भी हो रही है। घरों के तुलना में पांच गुना से अधिक प्रेशर से औद्योगिक क्षेत्र में पीएनजी की सप्लाई होगी। इसलिए स्टील का पाइप बिछाया जा रहा है।

डीजल से सस्ती, परिवहन पर होने वाला खर्च बचेगा फतुहा की फैक्ट्रियों के साथ-साथ आमलोगों के घरों में भी पीएनजी पहुंचेगी सीधे पाइपलाइन से फैक्ट्रियों में पीएनजी पहुंचेगी। फैक्ट्री मालिको का खर्च भी कम होगा। पीएनजी डीजल से सस्ता पड़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाले रोज के खर्च से मुक्ति मिलेगी। पाटलिपुत्र और फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में 120 से अधिक उद्योग हैं। जब सभी पीएनजी का इस्तेमाल करने लगेंगे तो प्रदूषण पर भी काफी हद तक नियंत्रण होगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 01.04.2024)**

12 देशों से निकलता है 60 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा

दुनिया के 60% प्लास्टिक कचरे के लिए सिर्फ 12 देश जिम्मेदार हैं। इनमें भारत भी शामिल है। हालांकि प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में हम दुनिया में सबसे कम हैं। भारत में हर साल प्रति व्यक्ति 8 किलो प्लास्टिक का उत्पादन होता है। स्विट्जरलैंड्स की संस्था ईए अर्थ एक्शन की प्लास्टिक

ओवरशूट डे रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 से वैश्विक प्लास्टिक कचरा उत्पादन में 7.11% की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान है कि 2021 में दुनिया में 22 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ है। इसमें से 7 करोड़ टन पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए सबसे ज्यादा चीन जिम्मेदार है। उसके बाद भारत, रूस, ब्राजील, वियतनाम, ईरान, मैक्सिको, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्किये का नंबर आता है। भारत का कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरा चीन के पांचवें हिस्से और अमेरिका के एक तिहाई से भी कम होगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 13.04.2024)**

मोकामा-रजौली के बीच फोरलेन सड़क बनेगी

सात किलोमीटर लंबी सड़क के बन जाने से बिहार-झारखंड के बीच आवाजाही में होगी सहूलियत

मोकामा-रजौली में सात किलोमीटर सड़क बनते ही फोरलेन झारखंड से जुड़ जाएगा। हसनपुर से मेघारी (झारखंड सीमा क्षेत्र) के बीच यह निर्माण 138 करोड़ रुपये से होगा। इसके लिए एनएचएआई ने निविदा जारी कर दी है। एजेंसी का चयन होते ही और आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। फोरलेन का निर्माण तीन पैकेज में होना है। इनमें पहला हरदिया से हसनपुर तक 47 किलोमीटर, दूसरा हसनपुर से बख्तियारपुर तक 51 किलोमीटर और तीसरा हसनपुर से मेघातरी के बीच 7 किलोमीटर फोरलेन का निर्माण शामिल है। इसमें हरदिया से हसनपुर के बीच फोरलेन चालू हैं। वहीं हसनपुर से बख्तियारपुर के बीच सड़क का निर्माण कार्य जारी है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 07.04.2024)**

फाइव स्टार होटल की बढ़ेगी लीज अवधि

राजधानी पटना में तीन फाइव स्टार होटल बनाने की तैयारी पिछले एक साल से चल रही है. बड़ी होटल कंपनियां लीज अवधि कम होने के कारण इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही हैं. अब सरकार ने लीज की अवधि 45 वर्ष से बढ़ाने की रजामंदी दे दी है. लीज की अवधि तय करने की जिम्मेदारी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राधिकार (आइडीए) को दी है. होटल इंडस्ट्रीज की मांग के अनुसार आइडीए, अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है. आइडीए के सूत्रों की मानें तो लीज अवधि 90 साल हो सकती है.

आइडीए इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही पर्यटन विभाग को देगा. राजधानी में तीन फाइव स्टार होटल बनाने को लेकर पर्यटन विभाग ने पिछले दिनों देश के. बड़े होटल समूहों की एक बैठक पटना में आयोजित की थी. इसमें बिहार में पर्यटन के विकास में होटल की भूमिका और उनके विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी.

होटल इंडस्ट्रीज का लीज अवधि 45 वर्ष होने पर एतराज : पटना में बनने वाले फाइव स्टार होटल के प्रस्ताव के अनुसार लीज पर बड़े होटल समूहों को पांच सितारा होटल निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी दी जायेगी. अभी लीज अवधि 45 वर्ष निर्धारित की गयी है. यानी होटल निर्माण करने वाले समूह को 45 साल तक होटल संचालन का अधिकार दिया जायेगा. मामला यहीं फंस रहा है. पांच सितारा होटल निर्माण में आने वाली लागत को देखते हुए बड़े समूह लीज अवधि को दोगुना कर करीब 90 साल करने की मांग कर रहे हैं.

कहां-कहां प्रस्तावित है फाइव स्टार होटल : बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक पाटलिपुत्र अशोक के कैंपस में बनने वाले फाइव स्टार होटल में कुल 175 कमरे होंगे. सुल्तान पैलेस में बनने वाले होटल में करीब 300 कमरे होंगे. वहीं गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस स्टैंड में बनाने वाला तीसरा फाइव स्टार और भव्य होगा। **(साभार : प्रभात खबर, 16.04.2024)**

एलपीजी सिलिंडर की सेफ्टी जांच अब फ्री में

सही रख-रखाव नहीं होने से पटना सहित अन्य शहरों में गैस सिलिंडर फटने व लीकेज होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसका ताजा घटना पटना जंक्शन स्थित पाल होटल का है. पहले फीस होने से अधिकतर उपभोक्ता सेफ्टी जांच नहीं करवा पाते थे. इसके मद्देनजर सार्वजनिक तेल कंपनियों की गैस एजेंसियों के प्रशिक्षित कर्मचारी एलपीजी सिलिंडर की सेफ्टी की जांच अब फ्री में करेंगे. इसका नाम 'एलपीजी बेसिक सेफ्टी चेक (बीएससी)' दिया गया है. अगर आपके यहां गैस एजेंसी के कर्मचारी घर पर आकर सेफ्टी की जांच कर रहे हैं, तो अवश्य करा लें. अभी तक पांच साल के लिए उपभोक्ताओं को 236 रुपये का शुल्क देना पड़ रहा था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा. इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है. इसके बाद यह नया प्रावधान लागू किया गया है. नये प्रावधान के तहत राज्य में सेफ्टी जांच शुरू कर दी गयी है. एजेंसी के प्रशिक्षित प्रतिनिधि सभी के घरों में जाकर चेकलिस्ट के अनुसार आठ बिंदुओं को चेक करके सुनिश्चित करेंगे. पटना जिले में 15.99 लाख से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन हैं. इनमें आइओसी के 9.35 लाख, बीपीसी 4.44 लाख और एचपीसीएल के 2.20 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं.

इन बातों का रखें ख्याल : • सिलिंडर हमेशा सीधा रखें • एलपीजी स्टोव को सिलिंडर के स्तर से ऊपर प्लेटफॉर्म पर ही रखें • सिलिंडर से जुड़े पाइप में दरार की जांच करें • रेगुलेटर का प्रयोग संबंधित कंपनी का ही करें

लोगों को दी जानकारी : इंडियन ऑयल लिमिटेड के चीफ जेनरल मैनेजर (एलपीजी, बिहार स्टेट ऑफिस) सौरभ चंद्रा ने पटना इंडेन टीम के साथ कमला नेहरू नगर के स्लम बस्ती में दौरा किया और वहां के उपभोक्ताओं को एलपीजी के सुरक्षा मानक उपयोग के बारे में विस्तार में बताया.

बदला जा रहा पाइप : जिन ग्राहकों का होज पाइप (सुरक्षा नली) पांच वर्ष से अधिक पुराना है. उन्हें भी सुरक्षा अभियान के दौरान बदला जायेगा. उपभोक्ता खुले बाजार से नली न बदलें, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है.

ऑनलाइन करेंगे रिपोर्ट सबमिट : सेफ्टी जांच के लिए कुछ बिंदु तय किये गये हैं. इसी के आधार पर प्रशिक्षित कर्मचारी घर-घर जाकर एलपीजी सिलिंडर की जांच करेंगे. गैस सिलिंडर के रख-रखाव के लिए उपभोक्ता घर में क्या कर रहे हैं, इसकी जांच कर ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट करेंगे. उपभोक्ताओं के मोबाइल में ओटीपी नंबर आयेगा, जिसे मोबाइल एप में सबमिट किया जायेगा. तब सेफ्टी जांच की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. पहले ऑनलाइन सिस्टम के बजाय मैन्युअली रिपोर्ट बनाकर भेजते थे.

कॉमर्शियल सिलिंडर से हादसे पर लाभ नहीं : अगर आप कॉमर्शियल गैस सिलिंडर से खाना पकाते हैं, तो आपको हादसे में हुई क्षति में बीमा का लाभ नहीं मिलेगा. होटल के किचेन या अन्य कॉमर्शियल जगहों पर किचन में काम करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा नहीं है. चाहे हादसे में किसी की मृत्यु क्यों न हो जाये. दरअसल, सार्वजनिक तेल कंपनियों से मिली जानकारी कॉमर्शियल सिलिंडर की सप्लाइ मांग के अनुसार होती है. अधिकारियों ने बताया कि कॉमर्शियल सिलिंडर को लेकर किसी प्रकार का बीमा नहीं होता है. एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डॉ राम नरेश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि पटना शहर में हर दिन 600 से अधिक कॉमर्शियल सिलिंडर की सप्लाइ होती है. **(साभार : प्रभात खबर, 29.04.2024)**

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296